

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल

15वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि : 03.01.2022 (दिन सोमवार)
समय : 11:00 बजे (पूर्वाह्न)
स्थान : सर्किट हाउस, काठगोदाम (नैनीताल)।
फोन : 05942- 232800
फैक्स : 05942- 236042
e-mail I.D- secretaryldanainital@rediffmail.com

आज दिनांक 03 जनवरी, 2021 दिन सोमवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 15वीं बोर्ड बैठक सर्किट हाउस, काठगोदाम, जिला-नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

- | | |
|---|------------------------|
| 1. श्री दीपक रावत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल | - अध्यक्ष |
| 2. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल | - उपाध्यक्ष |
| 3. श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर
(सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 4. श्री अशोक कुमार जोशी, अपर जिलाधिकारी, नैनीताल
(जिलाधिकारी, नैनीताल के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 5. श्री पंकज कुमार उपाध्याय, नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी | - सदस्य (पदेन) |
| 6. श्री दिनेश बंसल, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम, नैनीताल
(प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 7. श्री हेम काण्डपाल, कोषाधिकारी, नैनीताल
(सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 8. श्री हरिशंकर सिंह बिष्ट,
(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 9. श्री प्रमोद सिंह टोलिया, पार्षद, नगर निगम, हल्द्वानी। | - सदस्य
(निर्वाचित) |

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति-

1. श्रीमती ऋचा सिंह, संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
2. श्रीमती पूजा नेगी, मुख्य वित्त अधिकारी, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
3. श्री सी0एम0 साह, परियोजना अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
4. श्री सतीश कुमार चौहान, प्रभारी सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। बैठक का कोरम पूर्ण होने पर अध्यक्ष की अनुमति से 15वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

मद संख्या- 15.01

14वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 14वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2021 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या-1420/नैजिविप्रा/एक-2021/चौदहवीं बो0बै0/2021-22 दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः 14वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। अतः सर्वसम्मति से 14वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

मद संख्या- 15.02

14वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 14वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन पर चर्चा की गयी।

कार्यवाही:- विस्तृत चर्चा उपरान्त 14वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-14.13 में भवाली स्थित लकड़ी टॉल परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग कम बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण/अनापत्ति के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर वन विभाग की भूमि दर्शित की गयी है जबकि सम्पूर्ण भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इस सम्बन्ध जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी, नैनीताल से भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भूमि की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रोत्तर कार्यवाही की जानी है।

अध्यक्ष द्वारा भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय एक सप्ताह के अन्दर लिये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या- 15.03

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित अनुपूरक बजट के आय-व्यय का विवरण।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 12वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.04.2021 के मद संख्या-12.03 में कुल आय ₹3,673.41 लाख एवं कुल व्यय ₹3,433.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष दिनांक 27.12.2021 तक धनराशि ₹1,406.64 लाख की आय तथा धनराशि ₹1,869.74 लाख का व्यय हो चुका है। प्रस्तावित बजट के सापेक्ष अधिक व्यय होने एवं सम्भावित व्यय के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु धनराशि ₹3,690.41 लाख की आय तथा धनराशि ₹3,758.50 लाख का व्यय का अनुपूरक बजट का प्राविधान किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित अनुपूरक बजट की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त यथाप्रस्तावित अनुपूरक बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 15.04

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2019 "कोश्याकुटौली तहसील के अन्तर्गत मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण" के अन्तर्गत कामर्शियल शॉप निर्माण के स्थान पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2019 "कोश्याकुटौली तहसील के अन्तर्गत मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण" के अन्तर्गत पार्किंग कम कामर्शियल शॉप का निर्माण

हेतु धनराशि ₹2,77,24,533.29 का आगणन तैयार करते हुये कंटीनजेन्सी एवं विद्युतीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि को घटाने के उपरान्त धनराशि ₹2,51,42,015.72 में दिनांक 07.08.2020 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी। सर्वन्यून निविदादाता द्वारा आगणित धनराशि से 18 प्रतिशत न्यून पर निविदा डाली गयी जिसका अनुमोदन प्रदान करते हुये ₹2,06,16,452.89 में अनुबन्ध संख्या-13/2020-21 दिनांक 28.01.2021 को सम्पादित किया गया। कार्य दिनांक 28.01.2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 27.06.2021 तक पूर्ण होना था।

कार्य के अन्तर्गत पार्किंग के साथ-साथ भूतल व प्रथम तल में कुल 40 दुकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। दुकानों के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय से उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जाना था। भूतल के दुकानों हेतु ₹14.00 लाख एवं प्रथम तल की दुकानों हेतु ₹10.00 निर्धारित करते हुये दुकानों विक्रय के सम्बन्ध में पूर्व में लॉटरी के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2020 तक आमंत्रित किये गये थे परन्तु निर्धारित तिथि को किसी भी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं लगायी गयी। पुनः दुकानों के आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से आवेदन दिनांक 30.09.2020 तक आमंत्रित किये गये परन्तु निर्धारित तिथि तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुये।

उक्त के उपरान्त दुकानों के धनराशि में कटौती करते हुये भूतल के दुकानों हेतु धनराशि ₹12.50 लाख एवं प्रथमतल के दुकानों हेतु ₹8.50 लाख निर्धारित करते हुये "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की गयी परन्तु आज तिथि तक किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। उक्त से प्रतीत होता है कि दुकानों को क्रय किये जाने हेतु जन-सामान्य द्वारा रुचि नहीं ली गयी।

भारत सरकार से सचिव, पर्यटन उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-724/दिनांक 30.03.2021 द्वारा निगम को Scheme for Special Assiistance to State for Capital Expenditure Part III हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुपूरक बजट में प्राविधानित एवं रा0आ0नि0 से निगम को उपरोक्त वर्णित कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। तत्क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-169 दिनांक 27.05.2021 द्वारा योजना को कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल को कार्यदायी संस्था के रूप में हस्तान्तरित की गयी है।

तहसील मुख्यालय स्थित गरमपानी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले मुख्य मार्ग पर अवस्थित है तथा अधिकतम वाहनों द्वारा गरमपानी बाजार में पूर्व से स्थापित पेट्रोल पम्प से ईंधन भरा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों हेतु मुख्य मार्ग एवं वाहनों के अत्यधिक दबाव को देखते हुये स्थल पर प्रस्तावित दुकानों के स्थान पर पेट्रोल पम्प की स्थापना की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर पेट्रोल पम्प संचालन का कार्य पूर्व से ही किया जा रहा है। पेट्रोल पम्प के संचालन हेतु मॉडल एवं पेट्रोल पम्प के समीप रेस्टोरेन्ट के निर्माण तथा इस सम्बन्ध में राजस्व शेयरिंग मॉडल का प्रस्ताव कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल से प्राप्त कर निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की अनुमति का प्रस्ताव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 14वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2021 के मद संख्या-14.04 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल पर पार्किंग का निर्माण कार्य जारी रखते हुये दुकानों के स्थान पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु राजस्व शेयरिंग मॉडल का कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल से प्रस्ताव प्राप्त करते हुये आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाए।

बोर्ड में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या-1460 दिनांक 26.10.2021 द्वारा महाप्रबन्धक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल को पार्किंग का निर्माण कार्य जारी रखते हुये पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु राजस्व शेयरिंग का मॉडल प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक- 2583, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 द्वारा पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु राजस्व शेयरिंग का मॉडल प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत मॉडल प्रस्ताव के क्रम में प्राधिकरण कार्यालय पत्र संख्या-1642, दिनांक 27 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

1. पेट्रोल/डीजल आउटलेट का संचालन निगम प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा, आई०ओ०सी०एल० द्वारा डीलरशिप निगम के पक्ष में निर्गत की जायेगी।
2. पेट्रोल पम्प संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती निगम द्वारा की जायेगी।
3. रिटेल आउटलेट से होने वाली बिक्री तथा किराये से होने वाली आय से पम्प के संचालन में होने वाले सभी व्ययों यथा वेतन, विद्युत, जलकर, रख-रखाव, लघु अनुरक्षण, कार्यालय संचालन व्यय व अन्य राजकीय देयकों के भुगतान उपरान्त प्राप्त होने वाली शुद्ध आय में से शुद्ध आय का 60 प्रतिशत - 40 प्रतिशत के अनुपात में निगम एवं प्राधिकरण के मध्य शुद्ध लाभांश का विभाजन किया जायेगा।
4. पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु भूमि प्रथम बार 21 वर्षों हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे उभय पक्षों की सहमतिनुसार तदसमय नियत शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। प्रस्तावित भूमि को निगम के माध्यम से आई०आई०सी०एल० को लीज अथवा किराये पर दिये जाने हेतु वांछित अनुबन्ध का सम्पादन तीनों पक्षों के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
5. पेट्रोल/डीजल आउटलेट के संचालन हेतु वर्किंग कैपिटल जो कि अनुमानतः 50.00 लाख रू० है, का व्यय भार निगम द्वारा वहन किया जायेगा। रिटेल आउटलेट पर लुब्रिकेन्ट प्रोडक्ट्स से सम्बन्धित अन्य व्यय निगम द्वारा वहन किये जायेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार कोश्याकुटौली में दुकानों के स्थान पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु राजस्व शेयरिंग का मॉडल का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा दुकानों के स्थान पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं प्रस्तावित राजस्व शेयरिंग मॉडल का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 15.05

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या-7.14 (ii) एवं (iii) में फिलिंग स्टेशन से सम्बन्धित मानकों में सशोधन हेतु उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या-1647 / V-2 / 2021-11(एल०यू०सी०) / 2003 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या-1647 / V-2 / 2021-11(एल०यू०सी०) / 2003 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 द्वारा

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या-7.14 (ii) एवं (iii) में फिलिंग स्टेशन से सम्बन्धित मानकों में संशोधन हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है।

उक्त शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि उक्त उपविधि को सम्बन्धित प्राधिकरण अपने बोर्ड से स्वीकृत कराते हुये अंगीकृत करेंगे। यदि किसी प्राधिकरण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपविधि में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरण तद्विषयक संशोधन के प्रस्ताव को औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

अतः उक्तानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या-7.14 (ii) एवं (iii) में फिलिंग स्टेशन से सम्बन्धित मानकों में संशोधन के निर्गत शासनादेश को यथाप्रस्तावितनुसार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत अंगीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को यथाप्रस्तावितानुसार अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 15.06

श्री रणवीर सिंह महारा पुत्र श्री चन्दन सिंह महारा, ग्राम- चनौती, पट्टी- पूर्वी छःखाता तहसील व जिला- नैनीताल के खेत संख्या-10 एवं 11ब मध्ये 400.00 वर्गमीटर भूमि में रेस्टोरेन्ट भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री रणवीर सिंह महारा पुत्र श्री चन्दन सिंह महारा, ग्राम- चनौती, नौकुचियाताल, जिला- नैनीताल के खेत संख्या-10 एवं 11ब मध्ये 400.00 वर्गमीटर भूमि में रेस्टोरेन्ट भवन मानचित्र संख्या- NDA/NC/0081/2021-22 स्वीकृति हेतु ऑन लाईन माध्यम से दिनांक 23.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। कार्यालय पत्र संख्या-664, दिनांक 03.08.2021 द्वारा सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, नैनीताल से प्रस्ताव पर अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, नैनीताल द्वारा अनापत्ति पत्र क्रमशः दिनांक 25.08.2021 एवं 18 अगस्त, 2021 प्रस्तुत है।

राजस्व उपनिरीक्षक की आख्या दिनांक 24.07.2021 के अनुसार ग्राम- चनौती पट्टी- पूर्वी छः खाता तहसील व जिला- नैनीताल की खतौनी खाता संख्या-12 मध्ये रकवा 0.292 है0 भूमि दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि खेत नं0-10 एवं 11ब मध्ये 400.00 वर्गमीटर भूमि अकृषक घोषित है और सजरा मानचित्र के अनुसार औसत 20 फीट चौड़ा ग्राम का मार्ग व पहुँच मार्ग उपलब्ध है। तदानुसार ही आवेदक द्वारा मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वरिष्ठ नियोजक की आख्या अनुसार दिनांक 25.08.2021 से प्रस्तुत मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया। मानचित्र तदानुसार रेस्टोरेन्ट भवन हेतु सैट बैंक, भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0, पार्किंग के प्रस्ताव भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के अनुसार नियमानुसार प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्यानुसार "हरित पट्टी" भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है और अंकित किया गया है कि परिक्षेत्रीय विनियमन में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हरित पट्टी भूउपयोग अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग अन्तर्गत झील के उच्चतम जल स्तर की सीमा से 50 मीटर की दूरी के उपरान्त रेस्टोरेन्ट का निर्माण अनुमन्य है। आवेदक द्वारा रेस्टोरेन्ट भवन का प्रस्ताव नौकुचियाताल झील से 82.00 मीटर उपरान्त दिया गया है।

प्रस्तावित रेस्टोरेन्ट भवन का निर्माण नौकुचियाताल झील के उच्चतम जल स्तर से 50.00 मीटर से अधिक अर्थात् 82.00 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित होने व भीमताल महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार नौकुचियाताल झील के उच्चतम जल स्तर की सीमा से 50.00 मीटर की दूरी के उपरान्त रेस्टोरेन्ट का निर्माण विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य होने के दृष्टिगत प्रस्ताव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 14वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2021 के अतिरिक्त बिन्दु मद संख्या-14.16 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण का सहयुक्त नियोजक से परीक्षण कराते हुये आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।**

बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या-1468 दिनांक 26.10.2021 द्वारा सहयुक्त नियोजक, कुमार्यु सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी को आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक-1468 दिनांक 27 नवम्बर, 2021 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है। पत्र में उल्लेख है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट निर्माण प्रस्ताव पर भू-उपयोग एवं उपविधि के परीक्षण सम्बन्धी आख्या पूर्व में वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्रांक-1396 दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा प्राधिकरण को प्रेषित की जा चुकी है जिसमें झील के उच्चतम जल स्तर की सीमा से 50.00 मी० की दूरी के उपरान्त रेस्टोरेन्ट का निर्माण होने की पुष्टि आवश्यक होने का अभिमत दिया गया है। साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रश्नगत स्थल झील से 82.00 मी० दूर चिन्हित होने के सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल की झील की उच्चतम जल स्तर सीमा से दूरी स्पष्ट न होने के क्रम में उक्त की पुष्टि प्राधिकरण/सम्बन्धित विभाग द्वारा की जानी आवश्यक प्रतीत होती है। उक्त की पुष्टि हो जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा दिये गये स्थलीय सत्यापन के क्रम में प्रकरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्यानुसार निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्राधिकरण स्तर से प्रश्नगत स्थल के नौकुचियाताल झील से दूरी के सम्बन्ध में स्थल पर पुष्टि कर ली गयी है। प्रश्नगत स्थल नौकुचियाताल झील से 82.00 मी० की दूरी के उपरान्त 99.00 मी० के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसकी पुष्टि राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा भी सजरा प्लान पर दिनांक 14.07.2021 को की गयी है।

भीमताल महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार नौकुचियाताल झील के उच्चतम जल स्तर की सीमा से 50.00 मीटर की दूरी के उपरान्त रेस्टोरेन्ट का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति उपरान्त अनुमन्य है। अतः तदनुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत आख्या के क्रम में झील के उच्चतम जल

स्तर के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से पुष्टि कराने की शर्त के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 15.07

श्री के० एन० जोशी द्वारा ऐशडेल कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल में एकल आवासीय भवन मानचित्र संख्या-01/2014, दिनांक 20.04.2013 के सम्बन्ध में।

श्री के० एन० जोशी, ऐशडेल कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल द्वारा एकल आवासीय भवन मानचित्र संख्या-01/2014, दिनांक 20.04.2013 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी की आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल नैनीताल महायोजना में "बाढ़ग्रस्त क्षेत्र" अन्तर्गत है। तत्समय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित उपयोग अन्तर्गत "सूखाताल के अधिकतम जल सतह सीमा से न्यूनतम 3.00 मीटर ऊपर की परिधि के क्षेत्र में एकल आवासीय भवन निर्माण तथा विद्यमान भवनों के पुनर्निर्माण सिंचाई विभाग की अनापत्ति पर अनुमन्य होने एवं अधिकतम जल सतह सीमा का निर्धारण सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी" का प्राविधान था।

जनहित याचिका संख्या-31/2012 श्री अजय सिंह रावत बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 03.07.2014 को पारित आदेश के अनुपालन में नैनीताल महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन 43वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् शासन को संदिग्धत किया गया। शासन द्वारा बोर्ड के तत्सम्बन्धी प्रस्तावों पर जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन की स्वीकृति शासनादेश संख्या-552 दिनांक 01.05.2015 निर्गत की गयी जिसमें "सूखाताल के उच्चतम जल स्तर सीमा से 30.00 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा", व्यवस्था दी गयी। तदनुसार शासनादेश के अनुपालन में आवेदक का भवन मानचित्र प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। प्रस्ताव निरस्तीकरण के विरुद्ध आवेदक द्वारा मा० आयुक्त न्यायालय, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के समक्ष अपील योजित की गयी। मा० न्यायालय आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.03.2021 में "अपीलार्थी के पक्ष को पुनः सुनकर गुण-दोष के आधार पर न्यायहित में निर्णित करना सुनिश्चित करें।" आदेश के साथ प्रकरण प्राधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।

आवेदक द्वारा दिनांक 15.06.2021 को पुनः पूर्व प्रेषित अभिलेखों सहित अपने भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्राधिकरण में प्रेषित किया गया है। वर्तमान प्रचलित भवन उपविधि के अध्याय-4.4-iii (iii) के अनुसार नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र एवं उत्तराखण्ड में विद्यमान सभी झीलों के तट/बाउण्ड्री से अथवा प्राकृतिक जलाशयों की अधिकतम निर्धारित सतह में से जो भी अधिक हो, से 30.00 मीटर की परिधि के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण एवं विकास की अनुमति देय नहीं है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के अनुसार प्रश्नगत स्थल (महायोजना में प्रदर्शित) सूखाताल के तट/बाउण्ड्री से 30.00 मीटर के अन्तर्गत होने व किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य अनुमन्य न होने के दृष्टिगत आवेदक का कथन है कि प्रार्थी का मानचित्र आवेदन दिनांक 20.04.2013 से लम्बित है। अतः लम्बमान तिथि पर लागू उपविधि के अनुसार निस्तारण किया जाए। तत्क्रम में प्रकरण को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 14वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.09.2021 के मद संख्या-14.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा

उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण का सहयुक्त नियोजक से परीक्षण कराते हुये आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बोर्ड में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या-1467 दिनांक 26.10.2021 द्वारा सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी को अपना अभिमत प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक-647 दिनांक 27.11.2021 में उल्लेख किया गया है कि जनहित याचिका संख्या-31/2012 श्री अजय सिंह रावत बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 03.07.2014 द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में नैनीताल महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन में "सूखाताल में ताल के उच्चतम जल स्तर/सीमा से 30.00 मी0 की परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा" व्यवस्था दी गयी है। अतः लम्बान तिथि पर प्रभावी भवन उपविधि एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में जारी शासनादेशानुसार संशोधित परिक्षेत्रीय विनियमन के आलोक में उपविधिनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होगा।

सहयुक्त नियोजक की उपरोक्त आख्या/अभिमत स्पष्ट नहीं है तथापि वर्तमान में प्रचलित नैनीताल महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन एवं तत्सम्बन्धी शासनोदशों के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल सूखाताल के तट/बाउण्ड्री से 30.00 मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित है जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति देय नहीं है।

श्री कै0एन0जोशी द्वारा स्थल पर बिना अनुमति के भूमि तल पर लगभग 30'x40' क्षेत्रफल में आर0सी0सी0 कॉलम कास्ट किये जाने का वाद संख्या-29/2021 दिनांक 18.05.2021 को संस्थित किया गया। विपक्षी द्वारा स्थल पर लगातार अवैध निर्माण कार्य जारी रखे जाने के कारण अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनांक 29.11.2021 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। विपक्षी द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या (एम0एस/2598/2021 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 10.12.2021 में निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं:-

"..... In such view of the matter, the writ petition is disposed of with a direction to Secretary, District Level Development Authority, Nainital to decide the issue regarding sanction of petitioner's house plan in terms of order dated 10-03-2021 passed by appellate Authority.

Till decision on the said issue by the Secretary, demolition order shall be kept in abeyance."

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 29.11.2021 को स्थगित रखने के निर्देशों के साथ मा0 अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.2021 के आधार पर अपीलार्थी के मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

मा0 अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रकरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 14वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जा चुका है। बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में सहयुक्त नियोजक से आख्या प्राप्त की जा चुकी है जो अस्पष्ट है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा स्थल पर बिना अनुमति के भूतल में भवन निर्माण हेतु कॉलम कास्ट किये गये हैं जो पूर्णतः अनधिकृत श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

सूच्य है कि जनहित याचिका संख्या-31/2012, प्रो0 अजय सिंह रावत बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक

27.08.2019 को पारित अन्तिम आदेश के अनुपालन में सूखाताल डूब क्षेत्र में गठित समिति द्वारा पूर्व में 44 अनधिकृत निर्माण चिन्हित किये गये हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही दिनांक 05.01.2022 से की जानी प्रस्तावित है, में श्री के0एन0जोशी का नाम भी सम्मिलित है।

चूंकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध पारित ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 29.11.2021 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है तथा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-31/2012 में दिनांक 27.08.2019 को पारित अन्तिम आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु ध्वस्तीकरण कार्यवाही हेतु चिन्हित 44 अवैध निर्माणों में आवेदक का नाम भी सम्मिलित है, अतः प्रश्नगत भवन मानचित्र प्रकरण पूर्व बोर्ड में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव के सूखाताल झील के 30.00 मी0 की परिधि में होने से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-31/2012, श्री अजय सिंह रावत बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेशों तथा प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-4.4-iii (iii) के अनुसार नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र एवं उत्तराखण्ड में विद्यमान सभी झीलों के तट/बाउण्ड्री से अथवा प्राकृतिक जलाशयों की अधिकतम निर्धारित सतह में से जो भी अधिक हो, से 30.00 मीटर की परिधि के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण एवं विकास की अनुमति देय नहीं है, के दृष्टिगत सर्वसम्मति से मानचित्र प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 15.08

प्रमुख मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल द्वारा रामजे अस्पताल परिसर, नैनीताल अन्तर्गत कार्यालय भवन हेतु ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0128/21-22 दिनांक 21.09.2021 की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रमुख मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल द्वारा रामजे अस्पताल परिसर, नैनीताल अन्तर्गत कार्यालय भवन हेतु ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0128/21-22 दिनांक 21.09.2021 को मानचित्र आवेदन प्रस्तुत किया गया। मानचित्र के परीक्षणोंपरान्त कतिपय आपत्तियां सूचित की गयी। आवेदक संस्था द्वारा दिनांक 15.12.2021 को आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये। आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल के पत्र दिनांक 11.08.2021 एवं नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के पत्र दिनांक 11.08.2021 द्वारा परिसर की कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 19 एकड़ 4 पोल तथा 20 वर्गगज अर्थात 76997.00 वर्गमीटर भूमि रामजे इस्टेट हॉस्पिटल के पक्ष में होने की पुष्टि की गयी है। प्रस्ताव रामजे चिकित्सालय परिसर अन्तर्गत 853.151 वर्गमीटर खुले भूखण्ड में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रश्नगत स्थल का नैनीताल महायोजना में भू-उपयोग "स्वास्थ्य सुविधायें" है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु 12.25 सामुदायिक सुविधायें यूज जोन (मनोरंजन सुविधायें जैसे क्रीड़ा व खुले स्थल, गोल्फ पार्क तथा वन्य जीवन उद्यान यूज

जोन को छोड़ते हुये) तथा उपयोगिताओं एवं सेवाओं यूज जोन के तहत अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, वर्तमान में निर्मित आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार अन्य सामुदायिक सुविधा सम्बन्धी समस्त प्रकार के निर्मित भवनों का पुनर्निर्माण होगा।

विशेष परिस्थितियों में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक द्वारा अनुमोदित उपयोग- शिक्षण संस्थायें, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं इनके प्रासांगिक उपयोग से सम्बन्धित भवनों, सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं जैसे अग्निशमन, पुलिस स्टेशन, स्टारेज बैंक, सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट आदि भवन का जीर्णोद्धार एवं इनके परिक्षेत्र में केन्द्र या राज्य सरकार से अनुदान सम्बन्धी कार्य, अनुमन्य भू-आच्छादन व कुल आच्छादन व एफ0ए0आर0 की सीमा तक कार्मिकों के आवासीय भवन तथा इसी परिधि में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा इनके विस्तार अनुमन्य किये जा सकते हैं।

प्रस्ताव परिसर अन्तर्गत एक ब्लॉक प्रमुख चिकित्साधिकारी कार्यालय का है जो महायोजना में अनुमन्य उपयोग स्वास्थ्य सुविधायें के अनुषांगिक उपयोग के अन्तर्गत है। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, नैनीताल को जिला योजना के अन्तर्गत कार्यालय निर्माण हेतु धनराशि ₹50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई।

प्रश्नगत भवन मानचित्र आवश्यक सेवा के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधायें से सम्बन्धित होने के कारण मानचित्र का परीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूखण्ड के सापेक्ष सभी मानक पूर्ण होने की दशा में बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में भवन मानचित्र ऑनलाईन स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अतः प्रमुख मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल द्वारा रामजे अस्पताल परिसर, नैनीताल के स्वास्थ्य सुविधायें भू-उपयोग में कार्यालय भवन हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन भवन मानचित्र की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 15.09

माउण्ट वैली फाउण्डेशन सोसाईटी द्वारा अध्यक्ष डॉ0 अनिल तिवारी द्वारा ग्राम-नगारीगांव, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-161 के खेत संख्या-1233, 1234, 1235, 1236अ, 1237अ, 1226अ, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246 मध्ये रकबा 0.691 है0 अर्थात 6910.00 वर्गमीटर एवं खाता संख्या-233 के खेत संख्या-1248 एवं 1249अ मध्ये रकबा 0.961 है0 अर्थात 9610.00 वर्गमीटर सहित कुल रकबा 16520.00 वर्गमीटर में उच्च शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मै0 माउण्ट वैली फाउण्डेशन द्वारा अध्यक्ष, श्री अनिल तिवारी ग्राम-नगारीगांव, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-161 के खेत संख्या-1233, 1234, 1235, 1236अ, 1237अ, 1226अ, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246 मध्ये रकबा 0.691 है0 अर्थात 6910.00 वर्गमीटर एवं खाता संख्या-223 के खेत संख्या-1248 एवं 1249 अ मध्ये रकबा 0.961 है0 अर्थात 9610.00 वर्गमीटर सहित कुल रकबा 16520.00 वर्गमीटर में उच्च शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय निर्माण के लिये मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0066/21-22/RE1 दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। आवेदक संस्था द्वारा एकल खिड़की के माध्यम (CAF) से प्राप्त अनापत्तियां

यथा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पावर कार्पोरेशन, अग्नि शमन विभाग व राजस्व विभाग की अनापतियां संलग्न की गयी।

सोसाइटी के नवीनीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून के पत्र संख्या-M26/XXIV (3)/2019-13(05)/2018 दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 द्वारा निर्गत आशय पत्र (एल0ओ0आई0) की अवधि वर्ष 2022 तक विस्तारित की गयी है। मानचित्र आवेदन के क्रम में आवेदक संस्था को कतिपय आपत्तियां सूचित की गयी थी। आवेदक द्वारा दिनांक 29.11.2021 को आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित मानचित्र एवं वन विभाग का अनापत्ति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत मानचित्र के तकनीकी जाँच सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है:-

1. **भू-स्वामित्व-** प्रस्तुत विक्रय-पत्र दिनांक 22.07.2020, 15.06.2021 एवं 25.06.2021 व संलग्न खतौनियों के आधार पर ग्राम-नगारीगांव, तहसील व जिला-नैनीताल के खाता संख्या-161 एवं 233 मध्ये विभिन्न खसरा नम्बरों में कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 16520.00 वर्गमीटर का स्वामित्व आवेदक संस्था के नाम दर्ज अभिलेख हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1.	161	1233, 1234, 1235, 1236अ, 1237अ, 1226अ, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246	6910.00
2.	233	1248 एवं 1249 अ	9610.00
	कुल		16520.00

आवेदक संस्था द्वारा स्वामित्व भूखण्ड क्षेत्रफल 16520.00 वर्गमीटर के सापेक्ष 16517.50 वर्गमीटर में निजी विश्वविद्यालय का मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा राजस्व उपनिरीक्षक, भीमताल द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को सजरा प्लान पर आंतरित कर प्रमाण-पत्र अंकित करते हुये प्रस्तुत किया गया है। भूमि शैक्षिक/उद्योग हेतु विशेष श्रेणी-1(ग) के अन्तर्गत दर्ज अभिलेख है।

2. **भू-उपयोग-** प्रश्नगत स्थल भीमताल महायोजना के तहत "कृषि हरित पट्टी" भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-13.3.8 के बिन्दु-(ख) विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग के बिन्दु-36 के अनुसार "विशिष्ट शिक्षण संस्थायें जैसे-मेडिकल, तकनीकी तथा उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थायें" अनुमन्य हैं।

आवेदक संस्था द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो कि प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति पर अनुमन्य है।

3. **पहुँच मार्ग-** प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2019) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु न्यूनतम 7.50 मी0 चौड़ा पहुँच मार्ग होना आवश्यक है।

प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड हेतु 7.50 मी0 चौड़ा मार्ग प्रदर्शित किया गया है। संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-2, देहरादून के पत्र संख्या-1187 / 111(2) / 19-57 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 27 फरवरी, 2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत नैनीबैण्ड तिरछाखेत मोटर मार्ग के किमी0 02 से ऐड़ी मंदिर के पास माउण्ट वैली फाउण्डेशन विश्वविद्यालय हेतु मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल द्वारा मार्ग निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

4. **पार्क एवं हरित क्षेत्र**— प्रचलित भवन उपविधि के बिन्दु-5.3 (vi) के अनुसार संस्थागत, सामुदायिक सुविधायें, क्रीड़ा स्थल, / खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हैक्टेयर की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव में ग्रीनरी हेतु कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत ग्रीन पार्क के सापेक्ष 1720.64 वर्गमीटर आरक्षित किया गया है जिस पर विनियमानुसार वृक्षारोपण किये जाने का प्राविधान किया गया है।

5. **तकनीकी विवरण**— प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार विश्वविद्यालय हेतु न्यूनतम 20000.00 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल आवश्यक है परन्तु संस्थागत/शैक्षिक एवं चिकित्सा श्रेणी में सक्षम संस्थाओं से सम्बद्धता होने की स्थिति में सक्षम संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानक अनुमन्य होंगे। प्रकरण के सम्बन्ध में निजी विश्वविद्यालय हेतु उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा (नवसृजित अनुभाग), देहरादून के शासनादेश संख्या-391/XXIV(N)-(68/12)/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 के बिन्दु-5 के द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि के मानक निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5 एकड़ भूमि (अधिकतम तीन समीपवर्ती स्थानों पर 05 कि0मी0 के भीतर) अर्थात् 10117.14 वर्गमीटर भूमि आवश्यक है जिसके सापेक्ष 16517.00 वर्गमीटर पर तकनीकी जाँच हेतु बिन्दु निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मद	विनियमानुसार	मानचित्र में प्रस्तावित
1.	भूखण्ड क्षेत्रफल न्यूनतम	10117.14 वर्गमी0	16517.50 वर्गमीटर
2.	पहुँच मार्ग	7.50 मी0	7.50 मी0 (लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल द्वारा स्थल पर 7.50 मी0 चौड़ी सड़क के अनुसार कटान किया जा चुका है, अग्रेत्तर कार्य प्रगति पर है।)
3.	सेट बैक		
	(i) अग्र	12.00 मी0	12.00 मी0
	(ii) पृष्ठ	6.00 मी0	6.00 मी0
	(iii) पार्श्व-1	6.00 मी0	6.00 मी0
	(iv) पार्श्व-2	6.00 मी0	6.00 मी0
4.	भू-आच्छादन	35%	19.61% (3238.87 वर्गमीटर)
5.	त0क्षे0अ0 (एफ0ए0आर0)	1.10	0.57 (भूतल 3238.87 वर्गमीटर, प्रथम तल 3124.87 वर्गमीटर एवं द्वितीय तल 3084.90 वर्गमीटर सहित कुल आच्छादित क्षेत्रफल 9448.64 वर्गमीटर है।)

6.	भवन की कुल ऊँचाई— (मार्ग की चौड़ाई + अग्र सैट बैक का डेढ़ गुना)	12.00 मी० एवं ढालदार छत 1.50 मी० अतिरिक्त अनुमन्य।	भवनों की अधिकतम ऊँचाई 10.95 मी० है एवं ढालदार छत हेतु 1.50 मी० अतिरिक्त है।
	भूतल आन्तरिक ऊँचाई	3.50 मी०	3.50 मी०
	प्रथम तल आन्तरिक ऊँचाई	3.50 मी०	3.50 मी०
	द्वितीय तल आन्तरिक ऊँचाई	3.50 मी०	3.50 मी०
7.	पार्किंग—	न्यूनतम 1.50 ई० सी० एस० प्रति 100 वर्गमीटर कवर्ड क्षेत्रफल पर अर्थात् 9448.64 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल हेतु 143.00 ई० सी० एस० एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 25 प्रतिशत छूट उपरान्त 107 ई० सी०एस० पार्किंग आवश्यक।	प्राविधानित—107 ई०सी०एस०
8.	ब्लॉक के मध्य दूरी	12.00 मी० ऊँचाई तक के भवनों हेतु 3.00 मी० दूरी आवश्यक।	3.00 मी० से अधिक।
9.	वर्षाजल भण्डारण	94.50 घनमीटर	7718.00 घनमीटर
10.	वृक्षों से दूरी	न्यूनतम 3.00 मी०	वृक्षों से 3.00 दूरी उपरान्त निर्माण प्रस्तावित। वन क्षेत्राधिकारी, भवाली वन क्षेत्र भवाली के पत्रांक—18511/41-1, ना०प्रा० दिनांक 30.11.2021 द्वारा अनापत्ति निर्गत है।
11.	विद्युत लाईन से दूरी	2.00 मी० दूरी आवश्यक है।	स्थल के एक छोर से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसे स्थानान्तरित किये जाने हेतु आवदेक संस्था द्वारा विद्युत विभाग में निर्धारित धनराशि ₹2,56,072.00 को दिनांक 14.12.2021 को जमा करते हुये रसीद प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रतिबन्ध होगा कि विद्युत लाईन स्थानान्तरित होने के उपरान्त ही विनियमनुसार दूरी के उपरान्त ही भवन निर्माण किया जायेगा।

6. **सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट**— प्रस्तावित विश्वविद्यालय परिसर अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु Segregation at the source की व्यवस्था स्थानीय नगर निकाय Solid Waste Management Rules 2000 Rule 1(2) का प्राविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार स्थल पर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
7. **जल-मल निस्तारण**— स्थल पर एस0टी0पी0 का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
8. यदि परियोजना में 500.00 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र को कंडिशनड किया जाता है तो उरेडा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना, सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र एवं प्रणाली "ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड (B.I.S.)।S. 12.09.33 के अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार भीमताल महायोजना में "कृषि हरित पट्टी" भू-उपयोग अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय (उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान) का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य होने के दृष्टिगत प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:— बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी का अभिमत एवं संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या— 15.10

श्री तेजपाल सिंह आनन्द पुत्र स्व0 श्री केशर सिंह आनन्द द्वारा सरोज भवन वर्ड्स आई व्यू तल्लीताल, नैनीताल स्थित जीर्ण-क्षीर्ण भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।

श्री तेजपाल सिंह आनन्द पुत्र स्व0 श्री केशर सिंह आनन्द द्वारा सरोज भवन, वर्ड्स आई व्यू तल्लीताल, नैनीताल स्थित दो मंजिले विद्यमान एकल आवासीय भवन, के पुनर्निर्माण कि स्वीकृति हेतु बैनामे की प्रति, नगर पालिका का दाखिल-खारिज की प्रति सहित दिनांक 02.09.2021 को मानचित्र आवेदन संख्या-06/2021 प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत भूखण्ड का प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये गये की-प्लान एवं आंशिक महायोजना मानचित्र में दर्शायी स्थिति के अनुसार प्रश्नगत स्थल नैनीताल महायोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र बाजार एवं जी0एस0आई0 के जोन-3 के अन्तर्गत प्रदर्शित है जिसमें वर्तमान में निर्मित आवासीय भवनों का पुनर्निर्माण अनुमन्य है।

महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार वाणिज्यिक क्षेत्र बाजार भू-उपयोग अन्तर्गत में अनुमन्य उपयोग— रीटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल, वर्तमान में निर्मित आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार या आवासीय भवन का उसी नींव पर विद्यमान कुल आच्छादित क्षेत्र की सीमा तक पुनर्निर्माण। विशेष परिस्थितियों में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उपयोग— क्योस्क व स्टाल पर्यटन के प्रासांगिक क्रियाओं के स्थानीय निवासियों द्वारा अपने निजी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु निर्मित आवासीय भवनों का विस्तार" अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2 के पत्र संख्या-591/v/ आ0- 2015-138 (आ0)/2008, दिनांक 01 मई, 2015 द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत हेतु स्वीकृत भवन उपविधि में पुनर्निर्माण (बाजार क्षेत्र में) में वर्णित है कि—

"वाणिज्य बाजार यूज जोन में स्थित भवन के पुनर्निर्माण की दशा अग्र सैट बैक न्यूनतम 1.20 मी0 छोड़ा जाना अनिवार्य होगा यदि भवन के अग्रभाग में नियमानुसार 1.20

मी० या इससे अधिक सैट बैक पुनर्निर्माण से पूर्व छोड़ा गया है तो अधिकतम छोड़ा गया सैट बैक अनुमन्य होगा। भवनों की विद्यमान ऊँचाई एवं तलों की संख्या, बेसमेंट एवं मैजनीन फ्लोर (यदि कोई हो) में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यदि पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन के पार्श्व-1 एवं पार्श्व-2 एवं पृष्ठ सैट बैक में स्थित अन्य भवन इससे सटे हुये हैं तो पुनर्निर्माण हेतु भवन का मात्र अग्र सैट बैक 1.20 मी० छोड़ना अनिवार्य होगा।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 में पारित निर्णय द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिरासू भवनों के पुनर्निर्माण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जो हरित क्षेत्र यूज जोन, विशेष वनाच्छादित यूज जोन एवं बाढ़ प्रभावित यूज जोन के अन्तर्गत आते हैं, में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाय।

अन्य यूज जोन में 100.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रकरणों को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के स्तर से सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्वीकृति की कार्यवाही की जाय। इससे इतर समस्त प्रकार के पुनर्निर्माण के प्रकरणों में समिति की आख्या प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 207.43 वर्गमीटर है।

प्रस्तुत पुनर्निर्माण मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत विद्यमान एवं प्रस्तावित पुनर्निर्माण का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) विद्यमान जीर्ण-क्षीर्ण भवन-

क्र.सं.	भूखण्ड क्षेत्रफल	विद्यमान जीर्ण-क्षीर्ण का आच्छादित क्षेत्रफल	विद्यमान तल	भवन की ऊँचाई
1.	207.43	143.32 वर्गमीटर	भूतल एवं प्रथम तल	भवन की कुल ऊँचाई 4.80 मी० एवं ढालदार भाग 1.50 मी०।

(2) पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन-

क्र. सं.	भूखण्ड क्षेत्रफल	पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल	प्रस्तावित तल	भवन की ऊँचाई
1.	207.43	100.04 वर्गमीटर	भूतल एवं प्रथम तल	भवन की कुल ऊँचाई 4.80 मी० एवं ढालदार भाग 1.50 मी०।

म्यूनिसिपिल बोर्ड, नैनीताल से दिनांक 19.09.1983 को स्वीकृत भवन मानचित्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है जिसके अनुसार भवन भूतल व प्रथम तल में कुल ऊँचाई 7.50 मी० में स्वीकृत है।

(3) गिरासू भवन का प्रमाण-पत्र—गिरासू भवन होने के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-263 के अन्तर्गत पत्रांक-591/XII-1MB(ME) दिनांक 22.09.2021 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें भवन अत्यधिक जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है जिस कारण संरचना के कभी भी गिरने की संभावना के दृष्टिगत जानमाल की क्षति होने की भी प्रबल सम्भावना बनी हुई है, का उल्लेख है।

चूंकि प्रश्नगत भूखण्ड नैनीताल महायोजना के आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित है तथा क्षेत्रफल 100.00 वर्गमीटर से अधिक अर्थात् 207.43 वर्गमीटर है, अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की ग्यारवीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 100.00 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड पर निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रस्ताव पर बोर्ड के निर्देशों के क्रम में समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रकरण में समिति की आख्या प्राप्त नहीं हो पायी है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सभी मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत पुनर्निर्माण प्रस्ताव पर गठित समिति की आख्या प्राप्त करते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 15.11

प्रधानाचार्य, सेंट जोसफ कॉलेज, नैनीताल द्वारा कॉलेज परिसर अन्तर्गत विद्यमान दो मंजिले धोबी निवास बिल्डिंग (ब्लॉक-एच) के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव।

नैनीताल महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग "विद्यालय" यूज जोन के अन्तर्गत प्रदर्शित है व जी0एस0आई0 के जोन-4 के अन्तर्गत है। विद्यालय भवन सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत परिभाषित है। महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, वर्तमान में निर्मित आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार अन्य सामुदायिक सुविधा सम्बन्धी समस्त प्रकार के निर्मित भवनों का पुनर्निर्माण होगा।

उपरोक्तानुसार जोनिंग रेगुलेशन के अनुपालन में तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है:-

1. भू-स्वामित्व—प्रस्तुत स्वामित्व अभिलेखों के अनुसार विक्रय-पत्र वर्ष 1934 में भूखण्ड क्षेत्रफल 10.85 एकड़ अर्थात् 43406.87 वर्गमीटर भूमि का स्वामित्व सेंट जोसफ कॉलेज, नैनीताल के पक्ष में है।
2. पहुँच मार्ग— स्थल तल्लीताल से मुख्य राजभवन को जाने वाले मार्ग से लगा हुआ है जिसकी महायोजना में चौड़ाई 4.50 मी0 है जो मौके पर विद्यमान है।
3. भवन की ऊँचाई व तल— प्रस्ताव 5.50 मी0 ऊँचाई में प्रस्तुत किया गया है और ढालदार छत की ऊँचाई 1.20 मी0 एवं दो तलों में प्रस्तावित है, जो कि विद्यमान भवन की ऊँचाई व तलों के समान है जिसका भूतल 162.45 वर्गमीटर तथा प्रथम तल 132.55 वर्गमीटर सहित कुल आच्छादित क्षेत्रफल 295.00 वर्गमीटर है।
4. स्वीकृत मानचित्र— स्वीकृत मानचित्र के साईट प्लान की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है एवं पुराने भवन के साक्ष्य हेतु स्थल पर विद्यमान निर्मित भवन के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं।

5. गिरासू भवन हेतु- नगर पालिका परिषद, नैनीताल के पत्रांक-4891 दिनांक 24.08.2021 द्वारा भवन को गिरासू भवन की श्रेणी में रखा गया है।

6. भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0- पूर्ण परिसर में निर्मित भवनों के सापेक्ष भू-आच्छादन 17.27 प्रतिशत व एफ0ए0आर0 0.35 है, जो अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। वर्तमान में मात्र एक ब्लॉक का पुनर्निर्माण (धोबी निवास) प्रस्तावित है।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 में पारित निर्णय द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिरासू भवनों के पुनर्निर्माण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जो हरित क्षेत्र यूज जोन, विशेष वनाच्छादित यूज जोन एवं बाढ़ प्रभावित यूज जोन के अन्तर्गत आते हैं, में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाय।

अन्य यूज जोन में 100.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रकरणों को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के स्तर से सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्वीकृति की कार्यवाही की जाय। इससे इतर समस्त प्रकार के पुनर्निर्माण के प्रकरणों में समिति की आख्या प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में सेंट जोसफ कॉलेज परिसर, नैनीताल अन्तर्गत विद्यमान दो मंजिले (धोबी निवास बिल्डिंग) के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 100.00 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड पर निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रस्ताव पर बोर्ड के निर्देशों के क्रम में समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रकरण में समिति की आख्या प्राप्त नहीं हो पायी है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सभी मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत पुनर्निर्माण प्रस्ताव पर गठित समिति की आख्या प्राप्त करते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-15.12

श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा स्नोडन कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल में विद्यमान दो मंजिले मुख्य आवासीय भवन एवं किचन ब्लॉक के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।

श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा स्नोडन कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल में विद्यमान दो मंजिले मुख्य आवासीय भवन एवं किचन ब्लॉक के पुनर्निर्माण हेतु दिनांक 30.12.2021 द्वारा मानचित्र आवेदन किया गया है।

नैनीताल महायोजना में प्रश्नगत पुनर्निर्माण स्थल का भू-उपयोग "आवासीय" यूज जोन (निम्न घनत्व) के अन्तर्गत प्रदर्शित है व जी0एस0आई0 के जोन-3 के अन्तर्गत है।

महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत-रिटैनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, आवसीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं विस्तार, निर्मित आवसीय भवनों का जीर्णोद्धार है।

उपरोक्तानुसार जोनिंग रेगुलेशन के अनुपालन में तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है:-

1. **भू-स्वामित्व**-प्रस्तुत स्वामित्व अभिलेखों के अनुसार विक्रय-पत्र दिनांक 07.03.2006 एवं नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के कर निर्धारण समिति के प्रस्ताव संख्या-21 दिनांक 29.08.2006 के अनुसार भूखण्ड स्नोडन कम्पाउण्ड, अयारपाटा, मल्लीताल, नैनीताल स्थित मुख्य भवन, किचन ब्लॉक, अस्तबल, आउट हाउस, लैट्रिन ब्लॉक, गौराज व टिनशैड जिनका निर्मित क्षेत्रफल 504.70 वर्गमीटर व रिक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 10501.85 वर्गमीटर भूमि का स्वामित्व श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल के पक्ष में है। वर्तमान में मात्र मुख्य भवन एवं किचन का पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है।
2. **पहुँच मार्ग**- प्रश्नगत स्थल को अपर आयारपाटा मार्ग जिसका महयोजना में मार्गाधिकार 4.50 मी0 आरक्षित है, से पहुँच उपलब्ध है।
3. **भवन की ऊँचाई व तल**- मुख्य भवन हेतु प्रस्ताव 8.55 मी0 ऊँचाई में प्रस्तुत किया गया है और ढालदार छत की ऊँचाई 1.20 मी0 एवं दो तलों में प्रस्तावित है, जो कि विद्यमान भवन की ऊँचाई व तलों के समान है जिसका भूतल 205.92 वर्गमीटर तथा प्रथम तल 120.68 वर्गमीटर सहित कुल आच्छादित क्षेत्रफल 326.60 वर्गमीटर है व किचन ब्लॉक का प्रस्ताव 43.74 वर्गमीटर जो कि भूतल में पूर्व विद्यमान के अनुसार प्रस्तावित है।
4. **स्वीकृत मानचित्र**- म्यूनिसिपल बोर्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 06.10.1917 में स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें मुख्य भवन एवं किचन ब्लॉक अंकित है तथा मौके पर भी विद्यमान है। पुराने भवन के साक्ष्य हेतु स्थल पर विद्यमान निर्मित भवन के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं।
5. **भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0**- पूर्ण परिसर में निर्मित भवनों के सापेक्ष भू-आच्छादन 4.02 प्रतिशत व एफ0ए0आर0 0.05 है, जो अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। वर्तमान में मात्र मुख्य भवन एवं किचन ब्लॉक का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।

चूँकि प्रश्नगत प्रकरण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 में पारित निर्णय द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिरासू भवनों के पुनर्निर्माण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

पुनर्निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 के मद संख्या-11.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जो हरित क्षेत्र यूज जोन, विशेष वनाच्छादित यूज जोन एवं बाढ़ प्रभावित यूज जोन के अन्तर्गत आते हैं, में पुनर्निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाय।

अन्य यूज जोन में 100.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रकरणों को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के स्तर से सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्वीकृति की

कार्यवाही की जाय। इससे इतर समस्त प्रकार के पुनर्निर्माण के प्रकरणों में समिति की आख्या प्राप्त कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में श्रीमती अल्का अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा स्नोडन कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल में विद्यमान दो मंजिले एकल आवासीय मुख्य आवासीय भवन एवं किचन ब्लॉक के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 100.00 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड पर निर्मित भवनों के पुनर्निर्माण प्रस्ताव पर बोर्ड के निर्देशों के क्रम में समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रकरण में समिति की आख्या प्राप्त नहीं हो पायी है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सभी मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत पुनर्निर्माण प्रस्ताव पर गठित समिति की आख्या प्राप्त करते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-15.13

श्री प्रेमपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह द्वारा ग्राम-करायल चतुर सिंह, तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल के खसरा नं0-38, 40 एवं 41 कुल रकबा 1321.25 वर्गमीटर भूमि में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट ए/बी की स्थापना हेतु मार्ग की चौड़ाई के मानकों में शिथिलता के सम्बन्ध में।

श्री प्रेमपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.12.2021 द्वारा ग्राम-करायल चतुर सिंह, तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल के खसरा नं0-38, 40 एवं 41 कुल रकबा 1321.25 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित भूमि के आगे सड़क 11.50 मी0 होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई, 2021 में प्राधिकरण बोर्ड को मानकों में 25 प्रतिशत छूट करने का प्राविधान का उल्लेख करते हुये प्रकरण को आगामी होने वाली बैठक में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली के साथ संलग्न सहयुक्त नियोजक, कुमायूं सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के जिलाधिकारी, नैनीताल को सम्बोधित पत्रांक-721/कु0सु0ख0/पेट्रोल पम्प-अनापत्ति/2021 दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 के बिन्दु-2 में उल्लेख है कि भवन उपविधि (शासनादेश संख्या-1647 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 द्वारा यथासंशोधित) के बिन्दु 7.14 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में नगर निकाय सीमा से बाहर फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु पहुँच मार्ग की विद्यमान न्यूनतम चौड़ाई 15.00 मी0 का प्राविधान है। लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-4743/5सीवी, दिनांक 28/12/2020 द्वारा प्रस्तावित स्थल के समक्ष 11.50 मी0 चौड़ा विद्यमान मार्ग होने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्ड के समक्ष मार्ग की चौड़ाई 11.50 मी0 दर्शायी गयी है तथा मार्गाधिकार के साथ मार्ग के मध्य से 8.50 मी0 पश्चात् भूखण्ड का प्रस्ताव किया गया है। आवेदक द्वारा विद्यमान मार्ग से 25 प्रतिशत छूट के अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई, 2021 द्वारा भवन उपविधि के मानकों में निकटवर्ती परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्यक् जाँचोपरान्त औचित्य सहित 25

प्रतिशत तक की शिथिलता का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित करने का प्राविधान किया गया है।

संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक-489 दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा निम्नानुसार मत प्रस्तुत किया गया है:-

1. प्रश्नगत भूखण्ड महर्षि विद्या मंदिर-प्रेमपुर लोशज्ञानी मार्ग पर स्थित है। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग की आख्या के अनुसार 11.50 मी० है। मौके पर गूल सहित उक्त चौड़ाई का मार्ग स्थित है। यह मार्ग नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। मार्ग के दांये का भाग नगर निगम सीमान्तर्गत होने से दांये भाग के प्रस्ताव हेतु उक्त मार्ग के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र के मानक लगाये जाते हैं जबकि बांये भाग के भूखण्ड हेतु मार्ग के मानक ग्रामीण क्षेत्र के आवश्यक होते हैं। चूंकि उक्त मार्ग नगर निगम की सीमा निर्धारित करता है, उक्त कारण से छूट दिया जाना उचित है, अतः प्रस्ताव के दृष्टिगत उपरोक्त मार्ग के मानक में 25 प्रतिशत तक मानक शिथिल करने की संस्तुति की जाती है।
2. यह भी स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत भूखण्ड में पेट्रोल पम्प के अन्य मानक यथा भूखण्ड क्षेत्र, टी-जंक्शन, एंट्री-एक्जिट आदि के मानक पूर्ण करता है।

अतः इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट ए/बी की स्थापना हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग 15.00 मी० के सापेक्ष स्थल पर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 11.50 मी० होने जो शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई के अनुसार मार्ग की चौड़ाई के मानकों में 25 प्रतिशत की छूट की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र में होने से पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निर्धारित 15.00 मी० चौड़े पहुँच मार्ग के सापेक्ष स्थल पर उपलब्ध 11.50 मी० होने से मानकों में छूट प्रदान की जा सकती है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई, 2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई में 25 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-15.14

श्री दिलेर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0119/21-22/RE1 दिनांक 10.09.2021 के अन्तर्गत मार्ग की चौड़ाई के मानकों में शिथिलता के सम्बन्ध में।

श्री दिलेर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या-NDA/NC/0119/21-22/RE1 दिनांक 10.09.2021 किया गया है। प्रस्ताव स्थल पर पूर्व में निर्मित बैंकट हॉल को होटल भवन में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

हल्द्वानी में महायोजना लागू नहीं है। प्रस्ताव होटल भवन का प्रस्तुत किया गया है। विनियमानुसार प्रथम प्राथमिकता पहुँच मार्ग एवं भूखण्ड क्षेत्रफल की है जो क्रमशः लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति के अनुसार क्रमशः 10.00 मी० उपलब्ध है तथा भूखण्ड क्षेत्रफल 6774.56 वर्गमीटर, जो अन्य होटल की श्रेणी में आता है। अतः उपनियमानुसार पहुँच मार्ग 12.00 मी० आवश्यक होने की दशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति के अनुसार 1.00 मी० सड़क विस्तार छोड़ते हुये सड़क चौड़ाई 12.00 मी० किये जाने का अनुरोध आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.2021 में किया गया है।

पहुँच मार्ग मौके पर 10.00 मी० होने की दशा में शासनादेश संख्या-1311/V-2/21-10 (आ०)/2020 दिनांक 26.07.2021 के बिन्दु-1.3 (2) में उल्लिखित भवन निर्माण उपविधि-2016 के मानकों में 25 प्रतिशत की शिथिलीकरण अनुमत्य करने का अधिकार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। प्रश्नगत प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई के 12.00 मी० के सापेक्ष 10.00 मी० होने के दृष्टिगत मात्र 16.67 प्रतिशत शिथिलता प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अनुमत्य है जो 25 प्रतिशत के अन्तर्गत है।

अतः होटल निर्माण हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग 12.00 मी० के सापेक्ष स्थल पर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 10.00 मी० होने से शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई के मानकों में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव बैंकट हॉल को होटल भवन हेतु परिवर्तन किये जाने का प्रस्तावित किया गया है जिसमें कान्फ्रेंस हॉल के साथ 08 कमरे प्राविधानित हैं जबकि प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होटल हेतु न्यूनतम 20 से अधिक कमरे, खान-पान, बहुउद्देश्य हॉल, यथा- कान्फ्रेंस/प्रदर्शनी हॉल की व्यवस्था आवश्यक है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सम्बन्धित आर्किटेक्ट के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कराते हुये प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-15.15

श्री मिन्दर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या- NDA/NC/0121/21-22/RE1 दिनांक 10.07.2021 के अन्तर्गत मार्ग की चौड़ाई के मानकों में शिथिलता के सम्बन्ध में।

श्री मिन्दर सिंह पुत्र स्व० चरनजीत सिंह द्वारा रनवीर गार्डन, डहरिया, मुखानी में होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या- NDA/NC/0121/21-22/RE1 दिनांक 10.07.2021 किया गया है। प्रस्ताव स्थल पर पूर्व में निर्मित बैंकट हॉल को होटल भवन में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

हल्द्वानी में महायोजना लागू नहीं है। प्रस्ताव होटल भवन का प्रस्तुत किया गया है। विनियमानुसार प्रथम प्राथमिकता पहुँच मार्ग एवं भूखण्ड क्षेत्रफल की है जो क्रमशः लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति के अनुसार क्रमशः 10.00 मी० उपलब्ध है तथा भूखण्ड क्षेत्रफल 4979.82 वर्गमीटर जो अन्य होटल की श्रेणी में आता है। अतः उपनियमानुसार पहुँच मार्ग 12.00 मी० आवश्यक होने की दशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत

अनापत्ति के अनुसार 1.00 मी० सड़क विस्तार छोड़ते हुये सड़क चौड़ाई 12.00 मी० किये जाने का अनुरोध आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.2021 में किया गया है।

पहुँच मार्ग मौके पर 10.00 मी० होने की दशा में शासनादेश संख्या-1311/V-2/21-10 (आ०)/2020 दिनांक 26.07.2021 के बिन्दु-1.3 (2) में उल्लिखित भवन निर्माण उपविधि-2016 के मानकों में 25 प्रतिशत की शिथलीकरण अनुमन्य करने का अधिकार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। प्रश्नगत प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई के 12.00 मी० के सापेक्ष 10.00 मी० होने के दृष्टिगत मात्र 16.67 प्रतिशत शिथिलता प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अनुमन्य है जो 25 प्रतिशत के अन्तर्गत है।

अतः होटल निर्माण हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग 12.00 मी० के सापेक्ष स्थल पर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 10.00 मी० होने से शासनादेश संख्या-1311 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई के मानकों में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव बैंकट हॉल को होटल भवन हेतु परिवर्तन किये जाने का प्रस्तावित किया गया है जिसमें कान्फ्रेंस हॉल के साथ 09 कमरे प्राविधानित हैं जबकि प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होटल हेतु न्यूनतम 20 से अधिक कमरे, खान-पान, बहुउद्देश्य हॉल, यथा- कान्फ्रेंस/प्रदर्शनी हॉल की व्यवस्था आवश्यक है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सम्बन्धित आर्किटेक्ट के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कराते हुये प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 15.16

लोक संस्कृति संग्रहालय, गीताधाम, भीमताल परिसर में पर्यटन प्रोत्साहन के अन्तर्गत सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

डॉ० यशोधर मठपाल, संस्थापक/सचिव, लोक संस्कृति संग्रहालय, गीताधाम, भीमताल, नैनीताल द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.12.2021 में उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड कला व संस्कृति संरक्षण को समर्पित संस्थान लोक संस्कृति संग्रहालय, भीमताल, नैनीताल की जनपद व प्रदेश की विशिष्ट पहचान व धरोहर है जिसके समुचित प्रोत्साहन एवं उन्नयन की नितान्त आवश्यकता है। इसके उन्नयन एवं प्रसार हेतु आवश्यक सहयोग (जैसे-संग्रहालय विषयक साईनेज बनाकर नैनीताल-भीमताल मार्ग, काठगोदाम-भीमताल मार्ग आदि स्थानों पर के०एम०वी०एन० एवं पर्यटन विभाग की वेबसाईट द्वारा संग्रहालय का प्रसार, संग्रहालय परिसर में आर्ट कैफे का निर्माण आदि) प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः लोक संस्कृति संग्रहालय, गीताधाम, भीमताल, नैनीताल के उन्नयन एवं प्रसार हेतु आवश्यक सहयोग के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि लोक संस्कृति संग्रहालय की एक विशिष्ट पहचान है। संस्थान पर पर्यटन सम्बन्धी कार्य

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल के माध्यम से जिला योजना के अन्तर्गत किये जा रहे हैं। संस्था द्वारा संग्रहालय के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न मुख्य स्थलों पर होर्डिंग्स लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोक संस्कृति संग्रहालय, भीमताल एवं अन्य पर्यटक स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स का डिजायन तैयार करते हुये आवश्यकतानुसार प्राक्कलन तैयार किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।


मद संख्या-15.17

सातताल, नैनीताल में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित भूमि में पार्किंग एवं दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:- उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि Scheme for Special Assistance to State for Capital Expenditure के अन्तर्गत सातताल, नैनीताल में सौन्दर्यीकरण एवं दुकानों का जीर्णोद्धार व निर्माण का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत योजना अन्तर्गत पार्किंग का प्राविधान नहीं है। स्थल पर वर्तमान में संचालित अतिरिक्त दुकानों को अन्यत्र विस्थापित किया जाना है जिस हेतु राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित भूमि पर पार्किंग एवं अवशेष दुकानदारों के लिये दुकान निर्माण की कार्यवाही की जानी है।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सातताल, नैनीताल में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित राजस्व भूमि पर पार्किंग एवं अवशेष स्थल पर दुकानों के निर्माण की कार्यवाही हेतु आगणन तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में, उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।


उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल


आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल